क्रम-संख्या–82 (क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 12 जून, 2024
ज्येष्ठ 22, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4

संख्या 1/666507/2024–71-4099/34/2021
लखनऊ, 12 जून, 2024

विज्ञप्ति

प0आ0–120

उ0प्र0 में विभिन्न विभागों के अधीन स्थापित/संचालित निजी क्षेत्र के व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश और फीस नियमन हेतु उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा–4 में प्रवेश और फीस नियमन के लिए एक समिति के गठन का प्राविधान किया गया है। प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1561/सोलह–1–2008–5 (डब्ल्यू–48)/2003 दिनांक 1 मई, 2008 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 प्रख्यापित की गयी है, जिसके नियम–3(1) में निजी क्षेत्र की व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और फीस नियमन के लिए समिति गठन का प्राविधान है।

2–उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल पाठयक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु एतद्द्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया जाता हैः–

(1)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष, पदेन
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से निम्न न हो।	सदस्य
(3)	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य, सचिव

उक्त समिति अधिनियम, 2006 के अध्याय–4 के बिन्दु संख्या–10 में निम्नलिखित व्यवस्था को संज्ञान में लेते हुए शुल्क–निर्धारण हेतु विचार करेगी :–

10–(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर–सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी :–

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप,

(दो) उपलब्ध अवसंरचना,

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिये आवश्यक समुचित बचत,

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय,

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय,

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

आज्ञा से,

श्री प्रकाश गुप्ता,

विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 62 राजपत्र–2024–(208)–599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।